



# भारत स्काउट्स एवं गाइड्स

बेहतर भारत के निर्माण की ओर

## राष्ट्रीय मुख्यालय

पता: लक्ष्मी मजूमदार भवन, 16, महात्मा गाँधी मार्ग, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

वेबसाइट: [www.bsgindia.org](http://www.bsgindia.org) ईमेल आईडी: [info@bsgindia.org](mailto:info@bsgindia.org) दूरभाष: +91-11-23370126, 23378667



प्रति,  
समस्त राज्य सचिव  
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स राज्य संघ  
भारतीय संघ

परिपत्र संख्या : 38/2025  
दिनांक : 18 फरवरी 2025

### स्मरणपत्र

विषय: मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्र के कब बुलबुल के लिए क्षेत्रीय स्तर पर बाल महोत्सव के सम्बन्ध में

सन्दर्भ: 1. राष्ट्रीय मुख्यालय परिपत्र संख्या 08/2025 दिनांक 06/01/2025

महोदय/महोदया,

यह मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्र के कब-बुलबुल के लिए क्षेत्रीय स्तर के बाल महोत्सव के प्रतिभागियों की पुष्टि के बारे में एक विनम्र स्मरण है, जो बीकानेर, राजस्थान में आयोजित होगा। राष्ट्रीय मुख्यालय परिपत्र संख्या 08/2025 दिनांक 06.01.2025 का अवलोकन करें।

इस सन्दर्भ में, आपको सूचित करना है कि मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्र के कब-बुलबुल के लिए क्षेत्रीय स्तर का बाल महोत्सव बीकानेर, राजस्थान में 04 से 08 मार्च, 2025 तक आयोजित किया जाएगा। हालाँकि, वर्तमान में हमें केवल कुछ राज्यों से ही पुष्टि प्राप्त हुई है।

हम राज्य संघों से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आवश्यक व्यवस्थाओं, जिसमें उपहार सामग्री भी शामिल है, को सुगम बनाने हेतु प्रतिभागियों की सूची 25 फरवरी 2025 तक अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके राज्य के कब एवं बुलबुल इस प्रतिष्ठित क्षेत्रीय स्तर पर बाल महोत्सव उत्सव में बिना प्रतिनिधित्व के नहीं रहेंगे।

सादर धन्यवाद,

भवदीया,

(शिवांगी सक्सैना)  
सहायक निदेशक  
(अवार्ड एवं प्रतियोगिताएं)

### प्रतिलिपि:

1. भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, राष्ट्रीय मुख्यालय के सभी पदाधिकारीगण।
2. अध्यक्ष/सचिव, रेलवे स्काउट और गाइड बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली -110016।
4. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, इंस्टीट्यूशनल एरिया, बी-15, सेक्टर-62, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201309।
5. निदेशक, डी.ए.वी.
6. सहायक निदेशक, (आरडी एवं एसए) भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, रिकॉर्ड एवं अनुसरण कार्यवाही हेतु।
7. एसओसी स्काउट/गाइड आवश्यक कार्यवाही हेतु।